INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF HUMANITIES AND INTERDISCIPLINARY STUDIES
(Peer-reviewed, Refereed, Indexed & Open Access Journal)
DOI : 03.2021-11278686 ISSN : 2582-8568 IMPACT FACTOR : 6.865 (SJIF 2023)

ड्रॉपआउट बच्चों की संख्या को कम करने एवं सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने के संदर्भ मेंराष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020में निहित प्रमुख प्रावधानों एवं उनके क्रियान्वयन से संबंधित चुनौतियों का समीक्षात्मक अध्ययन

(A Critical Study of the Major Provisions Contained in the NEP 2020 and the Challenges Related to their Implementation in the Context of Reducing the Number of Dropout Children and Ensuring Universal Access to Education at all Levels)

Dr. Naresh Kumar
Assistant Professor,
District Institute of Education & Training (DIET),
District: South-West, Ghummanhera,
State Council of Educational Research & Training (SCERT),
Varun Marg, Defence Colony, New Delhi (India)
E-mail: nky2013@gmail.com

DOI No. 03.2021-11278686 **DOI Link ::** https://doi-ds.org/doilink/04.2023-67467722/IRJHIS2304011

सारांश:

शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे कि देश की समृद्ध प्रतिभा तथा संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और संवर्द्धन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व अर्थात् मानवता की भलाई के लिए किया जा सकता है। इसी संदर्भ में भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 भारत की 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। सबके लिए आसान पहुँच, समानता, गुणवत्ता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह नई शिक्षा नीति सतत् विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल विद्यालयी और महाविद्यालयी शिक्षा को अधिक समग्र और लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना तथा प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। यह नीति भारत की परम्परा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए, 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों, जिनमें एसडीजी 4 शामिल हैं, के संयोजन में शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन और गवर्नेंस सहित, सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है।इस नीति की अंतर्दृष्टि के अनुसार छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों के साथ–साथ ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए जो मानवाधिकारों, स्थायी विकास और जीवनयापन तथा वैश्विक कल्याण के प्रतिबद्ध हो, ताकि सही मायने में वे वैश्विक नागरिक बन सकें। प्रस्तुत शोध लेख मेंड्रॉपआउट बच्चों की संख्या को कम करने एवं सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में निहित प्रमुख प्रावधानों और उनके क्रियान्वयन से संबंधित चुनौतियों, समस्याओं एवं कठिनाईयों का समीक्षात्मक अध्ययन किया गया है।

***मुख्य शब्द**: राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ड्रॉपआउट,शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच,समग्र शिक्षा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, विद्यालयी शिक्षा, फाउंडेशनल स्टेज, प्री–पाइमरी स्कूल,गैर–सरकारी संस्थान*

प्रस्तावना :

शिक्षा मानवीय क्षमताओं को प्राप्त प्राप्त करने, न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना एवं विकास

तथा राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के संदर्भ में एक मूलभूत आवश्यकता है।सबके लिए आसान पहुँच, समानता, गुणवत्ता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 वह शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह नीति जहाँ एक ओर प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है; तो वहीं दूसरी ओरयह नीति भारतीय संवैधानिक मूल्यों एवं मौलिक दायित्त्वों से युक्त एक ऐसी शिक्षा नीति है जो देश के साथ जुड़ाव एवं बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करने पर बल देती है। इस नीति का उद्देश्य 21 वीं सदीं की जरूरतों के अनुकूल विद्यालयी और महाविद्यालयी शिक्षा को अधिक समग्र और लचीला बनाते हुए प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है।यह शिक्षा नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्याज्ञान जैसी 'बुनियादी क्षमताओं' के साथ–साथ 'उच्चतर स्तर' की तार्किक और समस्या–समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए; अपितु नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना आवश्यक है। इस शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देते हुए विद्यालयी पाठ्यक्रम के 10+2 ढांचे की जगह 5+3+3+4 की नई पाठ्यक्रम संरचना लागू की जाएगी जो क्रमशः 3–8, 8–11, 11–14, और 14–18 उम्र के बच्चों के लिए है तथा इस नीति में अब तक दूर रखे गए 3–6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है। इस नई शिक्षा प्रणाली अथवा व्यवस्था में तीन साल की आँगनवाड़ी/प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी तथा प्री स्कूलिंग एवं स्कूली शिक्षा को मिलाकर यह अवधि कुल 15 वर्ष की होगी।इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तकनीकी शिक्षा, भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय, सतत् सीखते रहने की कला और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया गया है।

ड्रॉपआउट बच्चे एवं शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच :

ड्रॉपआउट बच्चे वे बच्चे होते अथवा कहलाते हैं जिन्होंने विद्यालय में नामांकन कराया और कुछ समय पश्चात् अथवा विद्यालय अध्ययन अवधि के दौरान ही किसी कारणवश विद्यालय छोड़ दिया हो। ऐसे स्कूल छोड़ने वाले छात्र"स्कूल ड्रॉपआउट छात्र" अथवा "स्कूल छोड़ने वाले छात्र" की श्रेणी में आते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि एक छात्र द्वारा अध्ययन प्रक्रिया के दौरान बीच में ही विद्यालय छोड़ देना "विद्यालय ड्रॉपआउट" कहलाता है; वहीं दूसरी ओरशिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच से आशय शिक्षा के व्यापक प्रचार–प्रसार एवं उसकी सार्वभौमिक उपलब्धता से है ताकि कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित न हो। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच अथवा शिक्षा के सार्वभौमीकरण अथवा लोकव्यापीकरण के लिए एक व्यापक योजना को अपनाया गया है तथा इस संदर्भ में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक छात्र के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भी किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में ड्रॉपआउट बच्चों की संख्या को कम करने और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने से संबंधित प्रावधान :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में ड्रॉपआउट बच्चों की संख्या को कम करने और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने से संबंधित प्रमुख प्रावधानों की विवेचना निम्नलिखित आधारों पर की जा सकती है–

1. **बच्चों का विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित करना एवं उन्हें नियमित रूप से विद्यालय भेजना–**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा प्रणाली के प्राथमिक लक्ष्यों में हमें यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों का विद्यालय में नामांकन हो और उन्हें नियमित रूप से विद्यालय में भेजा जाए। सर्व शिक्षा अभियान (अब समग्र शिक्षा) और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसी पहल के माध्यम से भारत ने हाल के वर्षों में प्राथमिक शिक्षा के सभी बच्चों का नामांकन प्राप्त करने के संदर्भ में उल्लेखनीय प्रगति की है। हालांकि बाद के आंकड़े बच्चों के स्कूली व्यवस्था में ठहराव से संबंधित कुछ गंभीर मुद्दों की ओर इशारा करते हैं। इसी संदर्भ में इस नीति में यह उल्लेखित किया गया है कि–*"कक्षा छठी से आठवीं का जीईआर 90.9 प्रतिशत है, जबकि कक्षा 9–10 और 11–12 के लिए यह क्रमश केवल 79.3 और 56.5 प्रतिशत है। यह आंकड़े यह दर्शाते हैं कि किस प्रकार से कक्षा 5 और विशेष रूप से कक्षा 8 के बाद नामांकित छात्रों का एक महत्त्वपूर्ण अनुपात शिक्षा प्रणाली से बाहर हो जाता है। वर्ष 2017–18 में एनएसएसओ के 75वें राउंड के हाऊसहोल्ड सर्वे के अनुसार 6 से 17 वर्ष के बीच की उम्र के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 3.22 करोड़ है। इन बच्चों को यथासंभव पुनः शिक्षा प्रणाली में शीघ्र वापस लाना देश की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही 2030 तक प्री–स्कूल से माध्यमिक स्तर में 100 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना होगा और भविष्य के छात्रों का ड्रॉपआउट दर भी कम करना होगा।"*– ***राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृष्ठ–14*** इसके साथ ही इस नीति में इस बात पर भी व्यापक बल दिया गया है कि पूर्व–प्राथमिक से कक्षा 12 तक की शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा सहित देश के सभी बच्चों को सार्वभौमिक पहुँच और अवसर प्रदान करने के लिए एक ठोस राष्ट्रीय प्रयास किया जाएगा।

2. **सभी स्तरों पर सुरक्षित और आकर्षक विद्यालयी शिक्षा प्रदान करना एवं सरकारी विद्यालयों की विश्वसनीयता को फिर से स्थापित करना–**

ड्रॉपआउट बच्चों की संख्या को कम करने, बच्चों की विद्यालय में वापसी और आगे के बच्चों को ड्रॉपआउट होने से रोका जा सकेके संदर्भ में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कुल मिलाकर दो पहल की जाएंगी। पहली–प्रभावी और पर्याप्त बुनियादी ढाँचा प्रदान करना जिससे कि सभी छात्रों को इसके माध्यम से प्री–प्राइमरी स्कूल से कक्षा 12 तक के सभी स्तरों पर सुरक्षित और आकर्षक शिक्षा प्राप्त हो सके तथा दूसरी–प्रत्येक स्तर पर नियमित प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराने के अलावा विशेष देखभाल की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी स्कूल में अवस्थापना की कमी न हो; वहीं दूसरी ओर यह शिक्षा नीतिइस बात पर बल देती है कि सरकारी विद्यालयों की विश्वसनीयता को फिर से स्थापित किया जाएगा और ऐसा मौजूदा विद्यालयों का उन्नयन और विस्तार करके, जहाँ विद्यालय नहीं है वहाँ अतिरिक्त गुणवत्ता विद्यालय बनाकर और छात्रावासों विशेषकर बालिका छात्रावासों तक सुरक्षित और व्यावहारिक पहुँच प्रदान करके किया जा सकता है जिससे कि सभी बच्चों को अच्छे विद्यालय में जाने और समुचित स्तर तक

पढ़ने के उचित अवसर उपलब्ध हो सकें।

3. **वैकल्पिक और नवीन शिक्षा केंद्र स्थापित करना तथा विद्यालयों में सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना–**

इस नीति के अनुसार प्रवासी मज़दूरों के बच्चों और विविध परिस्थितियों में विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में वापस लाने के लिए सिविल समाज के सहयोग से वैकल्पिक और नवीन शिक्षा केन्द्र स्थापित किए जाएंगे; तो वहीं दूसरी ओरविद्यालयों में सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित हो के संदर्भ में बहुत ध्यान से सभी विद्यार्थियों की टैकिंग करनी होगी तथा साथ–ही–साथ उनके सीखने के स्तर पर भी नजर रखनी होगी जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके वे विद्यालय में दाखिला ले रहे हैं और उपस्थित हो रहे हैं एवं डॉपआउट बच्चों के लौटने और यदि वे पीछे रह गए हैं तो उन्हें पुनः मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हो। इसके अतिरिक्त यह नीति इस बात पर बल देती है कि फाउंडेशनल स्टेज से लेकर कक्षा 12 तक की विद्यालयी शिक्षा के जरिए 18 वर्ष तक की आयु तक सभी बच्चों को समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही प्रशिक्षित शिक्षकों और कार्मिकों की भर्ती विद्यालय में की जाएगी जिससे कि शिक्षक हमेशा छात्रों और उसके अभिभावक के साथ कार्य कर सकें तथा साथ ही यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी विद्यार्थी विद्यालय आ रहे हैं और सीख रहे हैं।

4. **कक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना–**

कक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के संदर्भ में यह नीति इस बात को मानकर चलती है कि जब एक बार विद्यालय का अवसंरचनात्मक ढांचा और बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित हो जाए तो उसके उपरान्त् कक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए काम करना होगा और छात्रों को कक्षा से जोड़े रखना एक विशेष एवं महत्त्वपूर्ण कार्य होगा जिससे कि छात्र (विशेष रूप से लड़कियाँ और सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित समूहों के विद्यार्थी) और उनके माता–पिता अथवा अभिभावक विद्यालय में भागीदारी के प्रति अपनी रूचि न खोएं। इस संदर्भ में यह नीति इस बात को स्वीकारती है कि इसके लिए एक मजबूत चैनल और स्थानीय भाषा के ज्ञान के साथ उत्कृष्ट शिक्षकों के लिए प्रोत्साहन प्रणाली की आवश्यकता होगी जो उन क्षेत्रों में तैनात किए जाएं जहाँ पर ड्रॉपआउट दरें विशेष रूप से ज्यादा हैं।

5. **विद्यालयी शिक्षा के दायरे को व्यापक बनाना–**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) पर विशेष बल देते हुए सभी छात्रों को सीखने में मदद करने के लिए स्कूली शिक्षा के दायरे को व्यापक बनाना होगा जिससे कि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के अंदर सीखने के विभिन्न रास्ते उपलब्ध हो सकें। भारत के उन युवाओं के लिए जो किसी संस्थान में नियमित रूप से अध्ययन नहीं कर सकते नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) और राज्यों के ओपन स्कूलों द्वारा प्रस्तुत ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) कार्यक्रम का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण किया जाएगा जिससे कि ऐसे युवाओं की सीखने की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इसके अतिरिक्त एनआईओएस की तर्ज पर राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा किवे अपने राज्यों में पूर्व से स्थापित

स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) को सशक्त करके और नए संस्थानों की स्थापना करें और क्षेत्रीय भाषाओं में विभिन्न कार्यक्रम इन संस्थानों के जरिए चलाएं।

6. **विद्यालयों के निर्माण संबंधी नियमों को आसान बनाना–**

विद्यालयों के निर्माण संबंधी नियमों को आसान बनाने के संदर्भ में इस नीति में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि सरकारों और गैर–सरकारी संस्थाओं दोनों के लिए विद्यालय के निर्माण को सरल करने के लिए संस्कृति, भूगोल और सामाजिक–संरचना के आधार पर स्थानीय विविधताओं को प्रोत्साहित करने और शिक्षा के वैकल्पिक मॉडल बनाने की अनुमति देने के लिए विद्यालयों के निर्माण संबंधी नियमों को हल्का बनाया जाएगा। इनका फोकस वांछित सीखने के परिणामों से संबंधित आउटपुट क्षमता पर अधिक केन्द्रित होगा। इसके अतिरिक्त स्कूलों के अन्य मॉडलों को भी पायलट किया जाएगा जिसमें सार्वजनिक–लोकोपकारी (फिलैंथ्रोफिक) साझेदारियां शामिल हैं।

7. **बच्चों के अधिगम के सुधार के संदर्भ में भूतपूर्व विद्यार्थियों और समुदाय से स्वयंसेवी प्रयासों को प्रोत्साहित करना–**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में इस बात पर बल दिया गया है किबच्चों के अधिगम के सुधार के संदर्भ में भूतपूर्व विद्यार्थियों और समुदाय से स्वयंसेवी प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें सम्मिलित हैं–

- विद्यालयों में एक–एक बच्चे के लिए ट्यूटरिंग।
- साक्षरता शिक्षण और अन्य मदद हेतु अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित करना।
- शिक्षकों को शिक्षण में मार्गदर्शन और मदद उपलब्ध कराना।
- विद्यार्थियों को व्यवसाय संबंधी मार्गदर्शन देना।
- प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में प्रौढ़ साक्षरता में सहयोग करना, आदि।

इस संदर्भ में विद्यालय के भूतपूर्व विद्यार्थियों और स्थानीय समुदाय के स्वस्थ वरिष्ठ नागरिकों से उपयुक्त व्यक्तियों की पहचान की जाएगी तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए साक्षर स्वयंसेवकों, सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों, सरकारी/अर्ध सरकारी कर्मचारियों, भूतपूर्व विद्यार्थियों और शिक्षाविदों का एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा जिससे कि बच्चों के अधिगम में व्यापक सुधार लाया जा सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में ड्रॉपआउट बच्चों की संख्या को कम करने एवं सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने से संबंधित प्रमुख प्रावधानों के क्रियान्वयन से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ, समस्याएँ एवं कठिनाईयाँ :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में ड्रॉपआउट बच्चों की संख्या को कम करने एवं सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने सेसंबंधित कुछ प्रमुख चुनौतियाँ, समस्याएँ एवं कठिनाईयाँ इस प्रकार हैं–

- बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजना एवं स्कूली व्यवस्था में उनका ठहराव सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ी समस्या एवं चुनौती है। इस संदर्भ में पूर्व में भी बहुत से प्रयास किए गए लेकिन कोई आशातीत सफलता नहीं।स्कूली व्यवस्था में उनका ठहराव सुनिश्चित करने के लिए एक सर्वमान्य एवं व्यापक व्यूहरचना अथवा रणनीति का इस संदर्भ में नितांत अभाव है।

- विद्यालय छोड़ चुके बच्चों को पुनः शिक्षा प्रणाली मेंशीघ्र वापस लाना बड़ा ही कठिन एवं दुष्कर कार्य होने के साथ–साथ एक महत्वपूर्ण चुनौती भी है और इस संदर्भ में समूचे देश के बच्चों के लिए किसी ठोस रणनीति एवं व्यवस्थित तथा प्रभावी कार्य योजना का अभाव है।
- ड्रॉपआउट बच्चों की संख्या अर्थात् उनकी दर को कम करने के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर किसी प्रभावी एवं पर्याप्त बुनियादी ढ़ाचे का अभाव हैं।
- देश भर के समूचे विद्यालयों में छात्र–अनुपात के अनुरूप नियमित प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी को दूर करना अथवा उनकी समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करना भी एक बड़ी चुनौती है। देश में अभी भी बहुत से ऐसे विद्यालय है जहाँ नियमित प्रशिक्षित अध्यापकों का नितांत अभाव है।
- ड्रॉपआउट बच्चों की संख्या को कम करने एवं सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने के संदर्भ में सरकारी विद्यालयों की विश्वसनीयता को फिर से स्थापित करना बड़ा ही मुश्किल एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है। समूचे देश के सरकारी विद्यालयों की विश्वसनीयता को रातोंरात स्थापित करना कोई आसान कार्य नहीं है तथा साथ ही इस संदर्भ में राजनीतिक इच्छाशक्ति एवं केन्द्र एवं राज्य सरकारों के मध्य उचित समन्वय स्थापित करना भी बड़ा दुष्कर कार्य है।
- देश में बढ़ती मंहगाई एवं बेरोजगारी के कारण प्रवासी मजदूरों एवं देश के दूसरों हिस्सों में कार्य करने वाले लोगों के बच्चों और विविध परिस्थितियों में विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में वापस लाना भी एक बहुत बड़ी समस्या एवं चुनौती है।
- अनपढ़, बेरोजगार एवं दिहाड़ी मजदूरी करने वाले माता–पिता एवं अभिभावकों की विद्यालय में भागीदारी के प्रति रूचि न होना भी ड्रॉपआउट बच्चों की संख्या को कम करने एवं सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने के संदर्भ में एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है। जब–तक माता–पिता एवं अभिभावकों की विद्यालय में उचित भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी तब–तक प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना एक चुनौती ही रहेगी।

निष्कर्ष :

उपरोक्त विश्लेषण एवं विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 भारत की परम्परा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए, 21 वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों के संयोजन में शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन और गवर्नेंस सहित, सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है। यह नीति सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराके और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्यायसंगत ज्ञान समाज में बदलने पर बल देती है। इस शिक्षा नीति में ड्रॉपआउट बच्चों की संख्या को कम करने और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने से संबंधित बहुतसे प्रावधान किए गए हैं, जिनमेंबच्चों का विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित करना एवं उन्हें नियमित रूप से विद्यालय भेजना, सभी स्तरों पर सुरक्षित और आकर्षक विद्यालयी शिक्षा प्रदान करना, सरकारी विद्यालयों की विश्वसनीयता को फिर से स्थापित करना, वैकल्पिक और नवीन शिक्षा केंद्र स्थापित करना तथा विद्यालयों में सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना, कक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना,

विद्यालयी शिक्षा के दायरे को व्यापक बनाना, विद्यालयों के निर्माण संबंधी नियमों को आसान बनाना, बच्चों के अधिगम के सुधार के संदर्भ में भूतपूर्व विद्यार्थियों और समुदाय से स्वयंसेवी प्रयासों को प्रोत्साहित करना, आदि सम्मिलित हैं।जो इसे अपने आप में वर्तमान समय की एक विशिष्ट एवं महत्त्वपूर्ण शिक्षा नीति बनाते हैं। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देश की शिक्षा व्यवस्था एवं प्रणाली को एक नया आधार एवं दिशा प्रदान करने वाली एक नवीन शिक्षा नीति के रूप में संबोधित किया जा सकता है।

संदर्भ :

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020
2. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
3. https://www.ugc.ac.in/pdfnews/5294663_Salient-Featuresofnep-Eng-merged.pdf
4. Ministry of Human Resource Development, Government of India, National Education Policy, 2020
5. https://innovateindia.mygov.in/nep2020/
6. https://www.indiatoday.in/education-today/featurephilia/story/explained-how-will-nep-2020-change-the-education-system-in-india-1767385-2021-02-09

International Research Journal of Humanities and Interdisciplinary Studies
IRJHIS